योजना का नाम :— राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

कार्यक्रम का उद्देश्य	प्राकृतिक आपदाओं कृमियों एवं रोगों के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के नष्ट होने की स्थिति मे किसानों को वित्तीय सहायता एवं बीमा कवरेज देना ।
योजना की अद्यतन जानकारी	वर्ष 2004—05 में भौतिक (संख्या) लाभान्वित कृषक 259301 वर्ष 2005—06 में 128239 लाभान्वित वर्ष 2006—07 में लाभान्वित कृषक संख्या 221578 वर्ष 2007 खरीफ में लाभान्वित कृषक संख्या 162934 वर्ष रबी 2007—08 लाभान्वित कृषक संख्या 423742 है वर्ष 2008 खरीफ में 62171 कृषक लाभान्वित हुए एवं रबी 2008—09 में लाभान्वित कृषक 147895 है । खरीफ 2009 एवं रबी 2009—10 की गणना प्रकियाधीन है । योजना प्रावधान अनुसार निर्धारित देय दावे वर्ष 2004—05 रूपये 596940126/— वर्ष 2005—06 में रूपये 200088115/— तथा वर्ष 2006—07 में रूपयें 563688753/— वर्ष 2007 खरीफ में रूपये 855117437/—रबी 2007—08 में रू0 2551979264/— तथा खरीफ 2008 में राशि रू0 155677657/— , रबी 2008—09 रू0 629473945/— का भुगतान किया गया है । खरीफ 2009 एवं रबी 2009—10 की दावा गणना प्रकियाधीन है ।
लाभार्थी की पात्रता	ऐसे किसान जो अधिसूचित फसलों का बीमा कराना चाहते हो तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते है ।
अनुदान सहायता प्राप्त करने की प्रकिया	लघु एवं सीमांत कृषकों को बीमा कराते समय बैंक प्रीमियम राशि में केन्द्र सरकार राज्य शासन द्वारा निर्धारित अनुदान राशि की छूट प्रदान करते है । जिसका भार केन्द्र एवं राज्य शासन बराबर—बराबर वहन करते है ।
पात्रता निश्चित करने के लिये मापदण्ड	प्रीमियम पर अनुदान केवल बीमित कृषकों को लघु सीमान्त कृषक होने पर ही प्राप्त होती है ।
अधिसूचित फसलें	खरीफ पटवारी हल्का स्तर पर :— धान (सिंचित, असिंचित), सोयाबीन, अरहर, बाजरा, मक्का खरीफ :— तहसील स्तर पर :— ज्वार, कोदो कुटकी, तिल, मूंगफली, कपास एवं केला रबी :— पटवारी हल्का स्तर पर :— गेहूं (सिंचित असिंचित) चना, राई सरसों रबी :— तहसील स्तर पर :— अलसी, आलू एवं प्याज
बीमा हेतु पात्र कृषक	सभी अधिसूचित फसलों के लिये संस्थागत ऋण लेने वाले कृषकों के लिये योजना में शामिल होना अनिवार्य है तथा अऋणी कृषकों के लिये स्वेच्छिक है ।
अनुदान सहायता के वितरण की प्रकिया	प्रीमियम राशि में बैंक द्वारा लघु सीमांत कृषकों को 10 प्रतिशत छूट प्रदान होती है ।
आवेदन करने के लिये कहां किससे संपर्क करें	कृषक सहकारी बैंक वाणिज्यिक बैंक से संपर्क करे ।